न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 214/2020

RCMS No. 2020/00336

प्रार्थी:–

नारायणसिंह पुत्र दीपसिंह जाति रावत निवासी मायला गुड़ा बोरीमादा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली जरिये समस्त ग्रामवासी बोरीमादा

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. सोहनसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी बोरीमादा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
2. सरपंच ग्राम पंचायत बोरीमादा पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री नवीन दवे अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक:–03-07-2023

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत बोरीमादा द्वारा मिसल संख्या 03/2009–2010 संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.11.2009 की पालना में अप्रार्थी के नाम जारी पट्टा संख्या 6817 दिनांक 2.12.2009 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी को बार बार आवाजे दिलवाई गई परन्तु अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल असालतन अथवा वकालतन न्यायालय में उपस्थित नही हुए। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बोरीमादा के ख.न.900 किस्म गै.मु.नदी की सार्वजनिक भूमि आई हुई है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने 32 बाई 19.6. फीट भूमि पर अतिक्रमण करके अप्रार्थी संख्या 2 से मिलीभगत करके सार्वजनिक नदी की भूमि का अपने नाम से पट्टा संख्या 6817 दिनांक 2.12.2009 को जारी करवा दिया। सार्वजनिक नदी की भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण करने पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी सख्या 1 ने तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत कर वादग्रस्त भूमि का पट्टा अपने स्वयं के नाम पर पुश्तैनी व कब्जाशुदा बताकर फर्जी पट्टा बना दिया। अप्रार्थी ने कानून एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो को ताक पर रखकर पट्टा जारी करवाया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 ने पट्टा बनाने बाबत कोई प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत बोरीमादा में पेश नही किया। बिना रसीद काटे ही मिसल कायम की गई जबकि मिसल कायम करने से पूर्व कोर्ट फीस, नक्शा फीस, मौका निरीक्षण की साठ रूपये फीस कटती है उसके बाद मिसल कायम होती है जबकि उक्त पट्टा जारी करने में ऐसा बिल्कुल ही नही किया गया है। पट्टा प्रथम दृष्टया देखने से ही फर्जी साबित होता है। पट्टे की भूमि को पुश्तैनी बताया गया है जबकि सार्वजनिक नदी की भूमि पर नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। पट्टा जारी करने से पूर्व कोई मिसल नियमानुसार कायम नही की गई न ही विधिपूर्ण तरीके से नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया न ही भूखण्ड का मौका देखा गया न ही कोई आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। वादग्रस्त स्थल सार्वजनिक नदी की भूमि है उसके बारे में कोई जानकारी नही ली गई। मात्र अवैध व गैरकानूनी ढंग से फर्जी मिसल के अभाव में खानापूर्ति की गई। पट्टे के संदर्भ में किस तारीख को

अति. जिला कलक्टर, पाली

आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, किन स्वतंत्र मौतबिरानों के समक्ष चस्पांदगी की गई ऐसा कोई हवाला पंचायत रेकर्ड में नही है। वार्ड पंचो की कोई मौका कमेटी गठित नही की गई न ही वार्डपंचो द्वारा कभी वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु भौतिक मौका निरीक्षण किया गया। किसी प्रकार से विधिपूर्ण प्रकिया का पालन नही किया गया जबकि धारा 167(2) के अन्तर्गत पट्टा जारी किया जाता है तो उस पर ग्रामसेवक के भी हस्ताक्षर होते है लेकिन उक्त पट्टे में ग्रामसेवक के कही पर हस्ताक्षर नही है। गवाहो के बयानो मे भी नाम व पते खाली छोड़े गये है जो अपने आप में संदेह उत्पन्न करते है इससे साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थी का मौके पर कब्जा नही है और तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत कर उपरोक्त फर्जी पट्टा जारी करवाया गया है जो निरस्त योग्य है। वादग्रस्त भूखण्ड कभी अप्रार्थी संख्या एक का पुश्तैनी एवं कब्जाशुदा भूखण्ड नही रहा है न ही इस संदर्भ मे कोई दस्तावेज संलग्न मिसल किये है जिससे भी प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है कि पट्टा पूर्णतया फर्जी है व नियमो को ताक में रखकर वादग्रस्त पट्टा जारी किया है जो काबिले खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या एक के नाम जारी पट्टा संख्या 6817 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजो व ग्राम पंचायत के मूल रेकर्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि पंचायत में जैर निगरानी पट्टे की मिसल कायम नही हुई। पंचायत बैठक दिनांक 20.11.2009 में पट्टा जारी करने हेतु लिये गये प्रस्ताव संख्या 2 का अंकन है लेकिन बैठक में उपस्थित किसी भी सदस्य, सरपंच अथवा ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नही है। पट्टे की पुश्त पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नही है सिर्फ तत्कालीन सरपंच द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। पत्रावली के संलग्न हल्का पटवारी की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार जैर निगरानी पट्टे की भूमि की किस्म गै.मु.नदी है जिसका पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को अधिकार नही है लेकिन ग्राम पंचायत ने नियमो से परे जाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में विहित प्रावधानों व प्रकिया की अनदेखी व अवहेलना करते हुए अप्रार्थी के नाम नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह पंचायत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत बोरीमादा द्वारा मिसल संख्या 03/2009–2010 प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.11.2009 की पालना में अप्रार्थी के नाम जारी पट्टा संख्या 6817 दिनांक 2.12.2009 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 03-07-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली